

(राजस्थान-सरकार)
न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारों (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 22/2024

पंजीकरण सं. :- 2024/108

बउनवान

सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना मांगरोल जरिये जिला पुलिस अधीक्षक महोदय बारों
(सायल)

बनाम

संजय पुत्र गंगाधर जाति मीणा निवासी मूण्डला थाना मांगरोल जिला बारों (राज.)
(गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा-3

उपस्थिति :- 1- अभियोजन अधिकारी (सायल)
2- श्री बनेराज सिंह अभिभाषक (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 16.08.2024

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल संजय पुत्र गंगाधर जाति मीणा निवासी मूण्डला थाना मांगरोल जिला बारों के विरुद्ध जिला पुलिस अधीक्षक, बारों द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना मांगरोल जिला बारों ने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, बारों को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना मांगरोल क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। गैरसायल जुआ एक्ट के अपराधों का आदि है। इसके विरुद्ध पुलिस थाना मांगरोल में वर्ष 2007 से वर्ष 2023 तक कुल 03 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत दर्ज हुए हैं। उक्त 03 प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियाँ जारी हैं तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरुद्ध कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता में भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल समस्त प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरुद्ध अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा-3 के तहत कार्यवाही की जावे। इस्तगासा विरुद्ध गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

इसके उपरांत गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत इस्तगासे को दिनांक 04.06.2024 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओं को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया। गैरसायल द्वारा स्वयं उपस्थित होकर मय अभिभाषक उपस्थिति दी गई। प्रकरण में गैरसायल द्वारा मुख्य अभिभाषक के जवाब प्रस्तुत किया गया, जो शामिल पत्रावली किया जाकर, उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।



दौराने बहस अभियोजन अधिकारी सरकार पक्ष का मुख्य कथन है कि गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना मांगरोल में वर्ष 2007 से वर्ष 2023 तक कुल 03 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत दर्ज हुए हैं। उक्त 03 प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियाँ जारी हैं तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक

बना हुआ है। इसके विरुद्ध कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे। गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत इस्तगासे मे न्यायालय निर्णयों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न है।

इसके विपरीत गैरसायल के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत जवाब के कथनों को दोहराते हुये दौराने बहस कथन किया गया कि कार्यवाही मे अंकित किये गये प्रकरण दर्ज होने मे कोई आपत्ति नही है किन्तु गैरसायल एक काश्तकार ग्रामीण व्यक्ति है तथा गांव मे काश्तकारी कार्य से निवृत्त हो जाने के बाद समय पास करने के देहला कोट ताश खेलते है गैरसायल भी उक्त खेल रहे देहला कोट के व्यक्तियों के पास खडा होने के कारण गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना मांगरोल द्वारा यह प्रकरण दर्ज किये गये है। जिनसे गैरसायल का कोई वास्ता नही है। गैरसायल ने उक्त प्रकरण का निस्तारण करवाने हेतु जुर्म स्वीकार करने हेतु न्यायालय श्रीमान मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर गैरसायल को जुर्माना राशि से दण्डित कर प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया है तथा उक्त प्रकरण के बाद गैरसायल के विरुद्ध आज तक कोई प्रकरण दर्ज नही हुआ है। इसलिये गैरसायल के विरुद्ध खोली गई कार्यवाही को निरस्त किया जाना विधि संगल एवं न्यायहित मे होगा। क्योकि गैरसायल एक काश्तकार व्यक्ति है जो काश्तकारी कार्य पर आश्रित है।

प्रकरण मे अभियोजन अधिकारी पक्ष सरकार एवं गैरसायल की बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया। गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना मांगरोल में वर्ष 2007 से वर्ष 2023 तक कुल 03 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत दर्ज हुए है। उक्त 03 प्रकरणों मे गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों के अनुसार यह साबित होता है कि संजय पुत्र गंगाधर जाति मीणा निवासी मूण्डला थाना मांगरोल जिला बारां द्वारा उक्त अपराध किए गए है जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2(आ) की परिभाषा में आना पूर्णतया सिद्ध है क्योकि धारा 2(आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को 03 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब किया जा चुका है।

अतः गैरसायल संजय पुत्र गंगाधर जाति मीणा निवासी मूण्डला थाना मांगरोल जिला बारां को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूँ तथा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 (3) (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना क्षेत्र, मांगरोल जिला बारां से 15 दिन के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूँ।

गैरसायल संजय पुत्र गंगाधर जाति मीणा निवासी मूण्डला थाना मांगरोल जिला बारां को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना क्षेत्र मांगरोल जिला बारां से 15 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थिति प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना, सीसवाली जिला बारां को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरुद्ध हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सच्चरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा।

गैरसायल के विरुद्ध यह आदेश दिनांक 01.09.2024 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना सीसवाली जिला बारां को दी जावें। थानाधिकारी पुलिस थाना, मांगरोल जिला बारां को तहरीर दी जावे जिसमें यह लिखा जावें कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना मांगरोल जिला बारां क्षेत्र से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना सीसवाली जिला बारां के सुपुर्द कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक **16.08.2024** को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(दिवांशु शर्मा)
अति० जिला मजिस्ट्रेट,
बारां